प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती है :

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांवधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्ध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तो) अधिनियम, 1971, यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम, 31 मार्च 2010 को समाप्त भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडार निगम के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जातें है।

5. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2009–10 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान मे आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके। 2009–10 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

6. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई हैं।